इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2018—चैत्र 27, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1599-इक्कीस-ब(दो)-2018.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विधि आयोग का गठन करती है जिसमें निम्नलि होंगे:—

(1) अध्यक्ष;

(2) एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव;

(3) दो अंशकालिक सदस्य.

2. आयोग, समय-समय पर ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा, जैसे कि वह आवश्यक समझे परंतु ऐसा कोई सह राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा.

3. विधि आयोग के संदर्भ में निम्नानुसार निबंधन होंगे:—

(एक) सामान्य उपयोजन एवं महत्व के राज्य अधिनियमों का परीक्षण करना तथा ऐसी रूपरेखा सुझाना जिसके आध ऐसे अधिनियमों का संशोधित, पुनरीक्षित, समेकित या अद्यतन किया जा सके.

(दो) विधियों के पुनरीक्षण के संबंध में सामान्य नीति का सुझाव देना.